भारतीय जनता पार्टी

(केन्द्रीय कार्यालय)

11, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001

फोन नं. : 23305700, **फैक्स :** 23005787

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं संसद सदस्य श्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा जारी प्रेस वक्तव्य

गृह मंत्रालय द्वारा ट्रिब्यूनल के सामने सिमी पर प्रतिबंध के मामले में जो केजुअल तथा लापरवाहीभरी पैरवी की गई उसके बारे में जिम्मेवारी तय की जाए तथा कार्रवाई की जाए और चुनाव आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्षों द्वारा सिमी के समर्थन में दिए गए बयानों का संज्ञान ले।

दिनांक : 21 अगस्त, 2008

उच्चतम न्यायालय के सामने केन्द्र सरकार द्वारा फाइल किए गए नवीनतम शपथ–पत्र में उल्लेख किया गया है कि देशभर में अवैध कार्रवाइयों में तथा बम धमाकों में लिप्त रहने के कारण सिमी के सदस्यों के विरूद्ध 400 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें अहमदाबाद में 26 जुलाई को किए गए सीरियल धमाके भी शामिल हैं। शपथ–पत्र के अनुसार लगभग 349 मामले फरवरी, 2006 से पहले दर्ज किए गए थे और उसके बाद 60 नए मामले दर्ज किए गए हैं। शपथ–पत्र में आगे उल्लेख है कि मुंबई की स्थानीय ट्रेनों में सीरियल धमाकों की, जिनके कारण 187 लोगों की जानें चली गई थीं, सिमी ही प्रमुख षड्यंत्रकर्ता थी। इसी प्रकार सितंबर 2006 में मालेगांव के धमाकों को करने में, जिनमें 31 मासूम लोगों की जानें गई थीं, सिमी ने ही प्रमुख भूमिका निभाई थी। शपथ–पत्र में खोलकर बताया गया है कि सिमी के नेताओं को पाकिस्तान और बांग्लादेश में प्रशिक्षण दिया गया था, और उन्होंने देश के विभिन्न भागों में इकट्ठे होकर हमारे राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता को नष्ट करने का षड्यंत्र रचा था।

यह स्पष्ट है कि अहमदाबाद के हाल के धमाकों के अलावा बाकी सभी मामले वर्ष 2006/2007 तथा वर्ष 2008 के प्रारंभिक महीनों में हुए गंभीर आतंकवादी हमलों से संबंधित थे। यह प्रश्न उठता है कि उस ट्रिब्यूनल के सामने इस बारे में सारी सामग्री क्यों उचित रूप में प्रस्तुत नहीं की गई, जो अवैध कार्रवाई अधिनियम 1966 के अधीन सिमी पर प्रतिबंध की वैधता पर विचार कर रहा था। न्यायाधीश ने भी टिप्पणी की थी कि ट्रिब्यूनल के सामने सुसंगत सामग्री और दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं। देश को यह जानने का हक़ है कि जो तथ्य अब उच्चतम न्यायालय के समक्ष पेश किए जा रहे हैं वे ट्रिब्यूनल के सामने उचित रूप में क्यों प्रस्तुत नहीं किए गए। **यह एक बहुत ही गंभीर चूक है। कोई न कोई, कहीं न कहीं, किसी न किसी कारण से सिमी की सहायता करने का प्रयास कर रहा था। यह राष्ट्र की एकता और अखंता का प्रश्न है, जिसके बारे में कोई समझौता नहीं हो सकता। भाजपा मांग करती है कि इस गंभीर चूक के बारे में तुरंत जांच की जाए, जिम्मेवारी तय की जाए और दोषियों को सजा दी जाए।**

देश के लिए गंभीर उलझन का एक और मुद्दा भी सामने है। इस तथ्य के बावजूद कि सिमी भारत के संविधान में यकीन नहीं रखती है, आतंक के द्वारा भारत को कमजोर करने पर तुली हुई है, जिसके बारे में भारत सरकार ने स्वयं उच्चतम न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र देकर ये सब बातें स्पष्ट की हैं, फिर भी उन तीन मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों, जो कांग्रेस पार्टी के मित्र दल हैं, के अध्यक्षों अर्थात् श्री मुलायम सिंह यादव (समाजवादी पार्टी), श्री लालू प्रसाद यादव (राष्ट्रीय जनता दल) और श्री रामविलास पासवान (लोक जनशक्ति पार्टी) ने खुलकर और सरेआम सिमी का समर्थन किया है और आरोप लगाया है कि सिमी के सदस्यों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने सिमी को एक सामाजिक संगठन बताया है। इनमें से दो संप्रग सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं। उक्त शपथ–पत्र के आलोक में **भाजपा जानना चाहेगी कि प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष इस बारे में चुप्पी क्यों साधे हुए हैं ? यह मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेवारी के सिद्धांत की घोर विफलता है।**

एक दूरगामी महत्व का मुद्दा और बचता है। जन–प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29-A के तहत राजनीतिक दलों के रजिस्ट्रेशन का उपबंध किया गया है। इस उपबंध के अनुसार राजनीतिक दल को **रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन में दल के नियमों तथा विनियमों, सदस्यों की सीमा आदि के अलावा पार्टी के विनियमों {धारा 29-A (5) के अनुसार} में विशेष रूप से उल्लेख करना पड़ता है कि दल भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा बनाए रखेगा।** सभी तीनों राजनीतिक दल अर्थात् सपा, राजद और लोजपा विधिवत रजिस्टर्ड राजनीतिक दल हैं। फिर भी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमी के पक्ष का खुलेआम समर्थन कर रहे हैं, उस सिमी का जिसका भारत के संविधान में विश्वास नहीं है और जो भारत की एकता और अखंडता को नष्ट करने पर तुली हुई है। **भाजपा मांग करती है कि चुनाव आयोग इन दलों के अध्यक्षों की सार्वजनिक स्थितियों का संज्ञान ले और जो वह उचित और उपयुक्त समझे वही कार्रवाई करे।**

(श्याम जाजू)
मुख्यालय प्रभारी